# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## तृतीय सत्र

## अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-2

28 आषाढ़, 1933 (श०)
मंगलवार, तिथि ———————————
19 जुलाई, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) समाज कल्याण विभाग | .. | .. | .. | 01 |
| (2) मानव संसाधन विकास विभाग (उ० शि०) | .. | .. | .. | 01 |
| (3) मानव संसाधन विकास विभाग (मा० शि०) | .. | .. | .. | 01 |
| (4) मानव संसाधन विकास विभाग (प्रा० शि०) | .. | .. | .. | 01 |
| | | | कुल योग .. | 04 |

रद्द करना

3. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2535, दिनांक 29 जून, 2011 के द्वारा समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात शुद्धिपत्र संख्या 2546, 2554 एवं 2556, दिनांक 30 जून, 2011 के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण आदेश में परिवर्तन किया जो नियम के विपरित है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए स्थानान्तरण आदेश रद्द करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

नियोजन करना

4. श्री कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास (प्राथमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा नियोजन अधीलीय प्राधिकार, औरंगाबाद द्वारा वाद संख्या 330 के निर्णय दिनांक 26 मई, 2011 में आदेश दिया गया है कि रफीगंज प्रखण्ड शिक्षक नियोजन, 2008 में अंतिम रूप से चयनित सभी अभ्यर्थियों को उक्त न्याय निर्णय की तिथि के दस दिनों के अन्दर अभ्यर्थियों से प्रमाण-पत्रों की सत्यता संबंधी शपथ-पत्र लेकर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, रफीगंज नियोजन पत्र निर्गत करें ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में चलाये गये उक्त वाद में दिये गये निर्णय का अनुपालन अभीतक प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, रफीगंज द्वारा नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

पैनल बनाना

5. डा० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 अप्रील, 2011 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "नहीं बन सका पैनल" के आलोक में क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास (उ०शि०) विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों के 13,837 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 6000 पद रिक्त हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि रिक्त पदों के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा नवम्बर, 2010 में ही विश्वविद्यालय शिक्षकों का पैनल बनाकर उनकी सेवा लेने का निर्देश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया था जिसका आजतक अनुपालन नहीं किया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैनल नहीं बनाने के लिए दोषी व्यक्तियों पर कौन-सी कार्रवाई करने एवं पैनल कबतक बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

योजना का कार्यान्वयन

6. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह-- दिनांक 14 जून, 2011 को (पटना से) प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के शीर्षक "मैट्रिक परीक्षा में प्रथम प्रोत्साहन राशि में फेल की ओर" ध्यान देते हुए क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास (मा०शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य मंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में मैट्रिक में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण होने वाले मेधावी छात्र को 10 हजार रुपये देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में राशि के आवंटन एवं छात्रों के चयन होने के बावजूद भी इस योजना को पूर्णरूपेण कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

---

पटना:
दिनांक 19 जुलाई 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 26-डी०टी०पी०-450